न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

जोलजन तिर्की
बनाम
अब्राहम समद

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची. केस का प्रकार–लगान निर्धारण अपील वाद संख्या –03/2020–21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

आदेश

07/01/2023

अभिलेख उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का पक्ष सुना। आवेदिका जोलजेन पूर्ति, पति स्व० तुरेयान पुर्ती एवं अन्य द्वारा अंचल अधिकारी नामकुम, रांची के दखल कब्जा दिलाने हेतु नोटिस (ज्ञापांक सं०–42 दिनांक 29.09.2020) के विरुद्ध आवेदन दिया गया। इस वाद के प्रतिवादी (1) निशि समद और (2) नीरज समद, दोनों के पिता स्व० अब्राहम समद, निवास– रोड नं०–1 मिडिल दाऊद नगर, डीबडीह डोरंडा रांची, झारखण्ड–834002 हैं।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
हेसाग	247	127	48	0.22 एकड़

इसी क्रम में प्रतिवादी को नोटिस कर प्रशनगत भूमि से सम्बंधित कारणपृच्छा एवं अपने–अपने दावे के समर्थन में कागजात की मांग की गयी जिसके उपरांत उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कारणपृच्छा दायर किया गया है।

अभिलेख में दोनों पक्षों के द्वारा सभी समर्पित आवेदन एवं कागजातों में वर्णित तथ्यों पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का दलील सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष वादी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन और कागजातों के आधार पर उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्यतः निम्न एक विन्दु पर पक्ष रख अनुरोध किया

और इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया गया था। अतः वादियों द्वारा इस न्यायालय में दायर किया गया वर्तमान SAR 03 / 20200-2021, Res-Judicata से अच्छादित है।

प्रश्नगत भूमि पर S-A-R- Revision Case No- 18/2004 में आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर के द्वारा दिनांक 11.05.2004 को उचित आदेश पारित किया जा चुका है, अतः वर्तमान न्यायालय को इस आदेश से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि वादियों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धरा 46 के तहत अनुमति लिए बिना ही वर्तमान सेल डीड को निबंधित किया है जो की स्पष्ट रूप से धरा 46 का उल्लंघन है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एक विशेष अधिनियम है जो की सामान्य विधान को superceed करता है, अतः वादियों द्वारा निबंधित सेल सीड छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विधि विरुद्ध है तथा अमान्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख में सभी समर्पित आवेदन एवं कागजात तथा प्रतिवादियों के कारण पृच्छा की कंडिका सं०–15 में उल्लेखित S-A-R- Revision Case No-18/2004 में पारित दिनांक 11.05.2004 का आदेश के साथ–साथ उभय पक्षों के द्वारा रखे गए मौखिक और लिखित पक्ष का अवलोकन किया स अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और उक्त वर्णित भूमि से सम्बंधित S-A-R- Revision Case No- 18/2004 में आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर के द्वारा दिनांक 11.05.2004 को आदेश से प्रतिवादियों के हित में फैसला हो चूका है जिसमे स्पष्ट किया गया है कि "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धरा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति का रैयत जिले के उपयुक्त के बिना अनुमति के आपने भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। " प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित डीड सं०–573 के अवलोकन से या भी स्परष्ट है कि, निबंधन से पूर्व इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत रांची के उपायुक्त महोदय से अनुमति नहीं लिया गया है, जो की स्पष्ट रूप से धारा 46 का उल्लंघन है, और विधि विरुद्ध प्रतीत होता है।

गया है:—

प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में ही माननीय व्यवहार न्यायालय रांची के द्वारा T-S- No-59/1988 में आवेदकों के हित में फैसला हो चूका हैं, और Execution Case No- 11/1996 में पारित आदेश अनुसार इस भूमि का निबंधित बिक्री पत्र आवेदकों को प्राप्त है। इस से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी नामकुम द्वारा दिया गया नोटिस (ज्ञापांक सं०—42 दिनांक 29.09.2020) न्यायोचित नहीं हैं, अतः इसे खारिज किया जाये। उक्त के आलोक के प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा द्वारा मुख्य निम्न विन्दुओ पर पक्ष रखा गया है:—

दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और प्रश्नगत भूमि को इनके पिता स्व०—अब्राहम समद ने परमिशन केस सं०—253 R 8 1979—80 में उपायुक्त महोदय रांची से परमिशन लेने के पश्चात प्राप्त किया गया था।

द्वितीय पक्ष के अनुसार भूमि पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908 प्रभावी है। प्रथम पक्ष ने, T-S- No- 59/1988 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) के अंतर्गत दायर किया था।

अतः T-S- No- 59/1988 में उक्त भूमि के सम्बन्ध हक हकीयत का फैसला नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि पर S.A.R. Case No- 168/1996-97 में प्रतिवादियों के हित में फैसला हो चूका है, जिसमे इन्हे दखल दिलाने का आदेश दिया गया था जिससे असंतुष्ट होकर वादियों ने SAR Appeal Case No- 211 R/2002-03 दायर किया था, जिसमे भूमि सुधार उप समाहर्ता, S-A-R- Case No- 168/1996-97 के फैसले को सही ठहराया और इन्हे पुनः दखल दिलाने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात वादियों ने S-A-R- Revision Case No- 18/2004 दायर किया था, जिसमे श्रीमान आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर के द्वारा निम्न विश्लेषण किया गया था:

"छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति का रैयत जिले के उपयुक्त के बिना अनुमति के आपने भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है स साथ ही छोटानागपुर टेनेंसी रूल्स 1959 के नियम 4(4) के तहत अनुसूचित जनजाति के रैयत की भूमि का हस्तांतरण निबन्धित दस्तावेज द्वारा किया जाना आवश्यक है।"

प्रथम पक्ष के द्वारा S-A-R- Revision Case No- 18/2004 के सम्बन्ध में अपने समर्पित मूल आवेदन दिनांक–08.10.2020 में कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में S-A-R- Revision Case No- 18/2004 में आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर के द्वारा दिनांक 11.05.2004 को आदेश पारित किया जा चूका है जो की इस न्यायालय पर बॉन्डिंग है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों और परिस्थितियों के आलोक में अंचल अधिकारी नामकुम, रांची के दखल कब्जा दिलाने हेतु नोटिस (ज्ञापांक सं०–42 दिनांक 29.09.2020) को यथावत रखते हुए वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है, और अंचल अधिकारी नामकुम, रांची विधिवत रूप अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया जाता है। इसकी एक प्रति अंचल अधिकारी, नामुकम रांची, को यथाशीघ्र भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

07/1/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

07/1/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:28:02 +05:30
Location: 192.168.2.175